96

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 1994 (अग्रहायण 11, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरी शंकर शेजवार, सदस्य, लोक शिक्षण कार्यालय द्वारा पाठ्यक्रम में हेराफेरी कर प्रकाशकों को लाभ पहुंचाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कोनी के दो व्यक्तियों का डकैतों द्वारा अपहरण करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, विदिशा के आसपास के क्षेत्रों मे पत्थरों के अवैध उत्खनन की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री गोपाल परमार, तथा यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की जामनी नहर के टूटने से फसलों की हुई क्षति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री बच्चन नायक, तथा श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के समीप पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) डॉ. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में मेंगनीज के अवैध उत्खनन की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री मनोहरलाल राठौर, सदस्य, होशंगाबाद जिले मे तवा नहर से सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी न मिल पाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 245-भोजपुर के सदस्य श्री सुन्दरलाल पटवा को विधान सभा के नवम्बर-दिसम्बर, 1994 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 121-पामगढ़ के सदस्य श्री दाऊराम रत्नाकर को विधानसभा के नवम्बर-दिसम्बर 1994 सत्र में दिनांक 29 नवम्बर से 18 दिसम्बर, 1994 तक बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के ग्राम पीपल्दा में शासकीय माध्यमिक शाला खोले जाने,

(2) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

(क) ग्राम नाहरबेली में पम्प द्वारा सिंचाई योजना लागू किये जाने, एवं
(ख) ग्राम घुघरी एवं सलवाह के बीच बुढ़नेर नदी पर पुल या रपटा बनाये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय	
	5. संकल्प
	श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
30 मि.	" यह सदन विश्व की सबसे भयंकर औद्योगिक त्रासदी "भोपाल गैस त्रासदी" की दसवीं बरसी के दुखद अवसर पर उन अनगिनत व्यक्तियों को, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्राण विसर्जित किये, अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है और दिवंगत व्यक्तियों के परिवारजनों तथा दुर्घटना के कारण रोगग्रस्त उन सहस्त्रों व्यक्तियों के प्रति, जो आज भी मर्मान्तक पीड़ा भुगत रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए शासन पुनः दृढ़ संकल्प करता है कि मृतकों के परिवारजनों एवं रोगियों के स्वास्थ्य, पुनर्वास, क्षेम और कल्याण के लिये किये जाने वाले कार्यों को अधिक से अधिक गति प्रदान की जाएगी एवं ऐसा स्वस्थ्यकर वातावरण निर्मित किया जायेगा जिसमें त्रासदी के भोक्ता विषाद् की छाया से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकें."
	6. वक्तव्य
	(1) डॉ प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री संसदीय कार्य एवं पशुपालन, दिनांक 25 अगस्त, 1994 को श्री लल्लू सिंह, सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्रमांक 2299) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.
	(2) श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, दिनांक 8 सितम्बर, 1994 को श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, द्वारा पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्रमांक 3038) के उत्तर में संशोधन किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.
	7. शासकीय विधि विषयक कार्य
	श्री प्रताप सिंह बघेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (क्रमांक 35 सन् 1994) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
	8. प्रतिवेदन पर चर्चा
1 घन्टा 30 मि.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट/उत्तर एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-1) पर चर्चा.
	9. अशासकीय संकल्प
	(1) श्री अखण्ड प्रताप सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
40 मि.	" इस सदन का मत है कि प्रदेश के तीव्र विकास के लिये मध्य भारत, छत्तीसगढ़, महाकौशल, विन्ध्य, चम्बल तथा राजधानी क्षेत्र हेतु पृथकतः विकास मण्डलों का गठन किया जाए."
	(2) सर्वश्री दिलीप भटेरे, जनकलाल ठाकुर, तथा चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
30 मि.	" यह सदन प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर डाक-घर, तार-घर एवं दूरभाष केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है."
	(3) सर्वश्री रणजीत सिंह गुणवान, तथा सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
20 मि.	" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भोपाल से उज्जैन-सवाई माधोपुर-जयपुर के मध्य तीव्र गति की सीधी रेल चलायी जाय."
	(4) सर्वश्री सुरेन्द्र वर्मा, कैलाश कुण्डल, युवराज तुकोजीराव पवार, तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
30 मि.	" इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सर्वसुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण किया जाय."
	(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
30 मि.	" इस सदन का मत है कि भू-राजस्व संहिता में ऐसा संशोधन किया जावे कि प्रत्येक राजस्व ग्राम के पास जो 7.50% चरनोई (गऊचर) भूमि सुरक्षित रहती है उसको 5% किया जाये एवं 2.50% भूमि ग्राम के ही भूमिहीनों को वितरित की जाये."

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 1 दिसम्बर, 1994